छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
:: मंत्रालय ::
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 159/2012/05/1/6 रायपुर, दिनांक 20/02/2005

प्रति,

1. सचिव,
   छत्तीसगढ़ शासन
   राजस्व विभाग
   मंत्रालय रायपुर
2. समस्त कलेक्टर,
   छत्तीसगढ़ ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष
   छत्तीसगढ़ ।

विषय :- सूचना का अधिकार के तहत जिलों से प्राप्त मार्गदर्शन के संबंध में ।

संदर्भ :- राजस्व विभाग का पत्र क्रमांक 2-33/05/सू.अधि./सात-1 दिनांक 07.11.05

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें ।

2/ संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा चाही गई जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार है :-

क्र.	शंका	समाधान
1.	आवेदक पंजीकरण हेतु पंजी संधारण हेतु निर्धारित प्रारूप, क्या आपके द्वारा प्रदाय किया जायेगा या उसे प्रत्येक कार्यालय द्वारा इस कार्यालय द्वारा विकसित एवं वर्तमान में उपयोग किया जा रहा प्रारूप, नमूना एवं तद्नुसार अनुमोदन हेतु संलग्न है ।	आवेदन पंजीकरण हेतु प्रपत्र सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया जा चुका है ।
2.	पंजीकरण हेतु कौन-सा वर्ष (कलेण्डर, राजस्व, वित्तीय आदि में से) उपयोग किया जायेगा ?	पंजीकरण हेतु कैलेण्डर वर्ष लिया जायेगा ।

ा के विभिन्न प्रकारों (कार्य या नस्ति नवलोकन, नस्ति या अभिलेख की लेना, प्रतिलिपि, प्रमाणित, विवरण हेत जानकारी प्रारूप आदि) के लिए शुल्क पृथक-पृथक होगा ? यदि हाँ, कतना एवं क्या ?	इसके लिए शुल्क निम्न प्रकार है :- (क) नस्ती अवलोकन :- रु. 50 प्रथम घंटा तदोपरांत रु. 05 प्रति 15 मिनट (ख) टीप लेना :- टीप आवेदक स्वतः लेगा परन्तु समय का खर्च अवलोकन का लगेगा। (ग) प्रतिलिपि/प्रमाणित प्रतिलिपि :- रु. 02 प्रतिपेज (घ) संग्रहित जानकारी :- रु. 100 प्रतिपेज
आवेदक द्वारा वांछित सूचना अनुतोष रित समय-सीमा में तैयार हो जाने एवं की सूचना आवेदक को दे दिये जाने के रांत यदि आवेदक समय-सीमा में अनुतोष के हेतु उपस्थित नहीं होता है तो आवेदन क्या निराकरण/निर्णय लिया जायेगा ?	जानकारी लेने हेतु आवेदक को कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं। जानकारी डाक द्वारा भेजी जाये।
से आवेदन जिसमें आवेदक आवेदन उपरांत ननुतोष तैयार की जाने एवं सूचना दे दिये जाने पर उन्हें प्राप्त करने ही नहीं आता है तो ऐसे आवेदन क्या समय-सीमा 30 दिवस उपरांत नस्तिवद्ध कर दाखिल अभिलेखागार किये जा सकेंगे ?	उपरोक्त 4 जैसी कार्यवाही करें।
अध्याय-2 की धारा 7(3) के तहत् शुल्क (यदि कोई है तो) अप्रस्तुति की सूचना आवेदक को देने के उपरांत कितने दिन तक इंतजार किया जायेगा ? सूचना उपरांत शुल्क अप्रस्तुत रहने पर आवेदन क्या समय-सीमा 30 दिवस उपरांत नस्तिवद्ध कर दाखिल अभिलेखागार किया जा सकेगा ?	इसमें कोई समय मर्यादा नहीं है। परंतु 30 दिवस में नस्तीबद्ध करना सही नहीं होगा।
लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध कराने का आदेश देने के उपरांत यदि कोई कार्यालय/अधिकारी/कर्मचारी/लोक अभिकरण सूचना उपलब्ध (क) नहीं कराता है या (ख) समय-सीमा में नहीं कराता है तो क्या प्रक्रिया एवं कार्यवाही होगी ?	अधिनियम की धारा 5(5) के अनुसार कार्यवाही करें।

(नंद कुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार)